

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर
क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13756

दिनांक:- ५/६

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय तथा फायरमैन संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को
1.	श्री विनोद कुमार धारणीया	पर्चा वितरक	नोहर	हनुमानगढ़
2.	श्री हवा सिंह	फायरमैन	धौलपुर	खैरथल
3.	श्री प्रह्लाद यादव	फायरमैन	माउण्ट आबू	निवाई
4.	श्री सतीश कुमार सिंह	फायरमैन	जयपुर	कोटा
5.	श्री समीर शर्मा	फायरमैन	कोटा	जयपुर
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार रावल	फायरमैन	व्यावर	बूंदी

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यवितरण: जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- यदि कोई कर्मचारी देनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13757 - 137.82

दिनांक:- ५/६

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
- उप निदेशक (क्ष०) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा/अजमेर/बीकानेर/जयपुर/भरतपुर।
- महापोर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
- श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
- सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)